बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ०–06–06/2014 (स्वा0).................... / पटना, दिनांक ....

डॉ० अंजु तुरियार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर, भागलपुर के विरूद्ध श्रीमती विमला कुमारी, फर्जी ए०एन०एम०, के स्थानान्तरण आदेश का बिना सत्यापन कराए एवं पूर्व पदस्थापित स्थान का बकाया सहित वेतनादि का कुल–4,46,798/–रु० भुगतान करने के आरोपों की जॉच हेतु सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक–3608 दिनाक–23.08.2013 द्वारा जॉच समिति का गठन किया गया।

2. जॉच समिति द्वारा प्रतिवेदित है कि डॉ० तुरियार, द्वारा श्रीमती विमला कुमारी, फर्जी ए०एन०एम० द्वारा प्रस्तुत किए गए निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–234(6) दिनांक–20.03.2012 एवं सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक–1267 दिनांक–09.04.2012 को सत्यापित नहीं कराया गया। उनके द्वारा श्रीमती विमला कुमारी, फर्जी ए०एन०एम०, को पूर्व पदस्थापन अवधि (दिनांक–01.05.2011 से 20.04.2012) एवं संस्थान के पदस्थापन अवधि (दिनांक–21.04.2012 से 05.07.2013) के लिए कुल–4,46,798/–रु० अनियमित भुगतान किया गया।

3. विभागीय सकल्प सं०–398(9) दिनांक–10.06.2014 द्वारा डॉ० तुरियार के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

4. विभागीय पत्रांक–763(9) दिनाक–21.08.2015 एवं पत्राक–587(9) दिनांक–31 05.2016 द्वारा डॉ० तुरियार से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी। जिसके अनुपालन में डॉ० तुरियार द्वारा अपना प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत करायी गयी है कि संस्थान के लिपिक श्री मिलन कुमार सिन्हा द्वारा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्राक–234(6) दिनाक–20.03.2012 एवं सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्राक–1267 दिनांक–09.04 2012 को संचिका में संदर्भित करते हुए श्रीमती विमला देवी का योगदान स्वीकार करने हेतु उपस्थापित किया गया। जिसमें अभिलेख को प्रथम द्रष्ट्या सत्य मानते हुए श्रीमती विमला देवी का योगदान स्वीकार किया गया। सिविल सर्जन, भागलपुर द्वारा उक्त कृत्य के लिए श्री मिलन कुमार सिन्हा को दोषी माना गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त तथ्यों के समीक्षोपरान्त डॉ० तुरियार के विरूद्ध श्रीमती विमला कुमारी के स्थानान्तरण आदेश का वरीय पदाधिकारी से सत्यापन प्राप्त नहीं किया गया। भुगतान करने के पूर्व वरीय पदाधिकारी का अनुमोदन नहीं लिया गया। पूर्व के पदस्थापित संस्थान से अन्तिम वेतन पर्ची का सत्यापन नहीं कराया गया। वेतनादि के बकाया के संबंध मे शपथ पत्र प्राप्त नही किया गया। उनके द्वारा वेतन भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक, खंजपुर, भागलपुर मे खाता खुलवाया गया, जिसमें डॉ० तुरियार ही पहचानकर्त्ता है। अतएव श्रीमती विमला देवी, फर्जी ए०एन०एम० को पूर्व के पदस्थापन अवधि एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्रू केन्द्र, सलेमपुर के कार्यावधि के लिए 4,46,798/–रु० का अनियमित भुगतान कर सरकारी राशि का दुर्विनियोग करने संबंधी विभागीय कार्यवाही में आरोपों को प्रमाणित किया है। फलत: डॉ० तुरियार के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं होने के कारण गभीर वित्तीय अनियमितता बरतने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के अधीन संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

30/05/2015

15

6. उक्त अधिरोपत शास्ति प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–110(9) दिनांक–31.01.2025 के द्वारा सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–593 दिनांक–15.05.2025 द्वारा विभागीय प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

7. अतएव डॉ० अजु तुरियार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर, भागलपुर सम्प्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के अधीन संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित की जाती है।

8. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: 9/आ०–06–06/2014 (स्वा0) 563(9)/ पटना, दिनांक 02.06.25

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाय भागलपुर, प्रमंडल, भागलपुर/मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन, भागलपुर/बेगूसराय/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:–माननीय (स्वा0) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के सचिव, स्वा विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–डॉ० अंजु तुरियार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर, भागलपुर सम्प्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/05/2025

सरकार के अवर सचिव।